न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **10/2016** अपील (भू राजस्व)

श्री लक्ष्मणसिंह शक्तावत पिता स्व. श्री मोहब्बत सिंह जी शक्तावत निवासी कुण्डई, हाल मुकाम गोपालपुरा, भीण्डर, उप तहसील भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री केसरसिंह पिता स्व. श्री मोहब्बतसिंह जी शक्तावत
   मृतक के बजायः—
   1/1 श्रीमती बृजकुँवर पत्नि स्व. श्री केसरसिंह जी शक्तावत निवासी 169, अशोक नगर, उदयपुर (राज.)
   1/2 श्री गुलाबसिंह पिता स्व. श्री केसरसिंह जी शक्तावत निवासी 169, अशोक नगर, उदयपुर (राज.)
   1/3 श्रीमती चित्राकुँवर पुत्री स्व. श्री केसरसिंह जी शक्तावत पत्नि सुरेन्द्रसिंह सिंह जी मोर्य निवासी आर्मी ऐरिया, महु (म.प्र.)
   1/4 श्रीमती सुनिता कुँवर पत्नि स्व. श्री महेन्द्रसिंह जी शक्तावत स्व. श्री केसरसिंह जी शक्तावत निवासी 169, अशोक नगर, उदयपुर (राज)
   1/5 श्रीमती गायत्री कुँवर पुत्री स्व. श्री केसरसिंह जी निवासी 149, अलकापुरी आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, उदयपुर (राज.)
2. राज्य सरकार जरीये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235, रा.टे. एक्ट सपठित, धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः 1. श्री सत्यप्रकाश व्यास, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— .....

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक वल्लभनगर में एक वाद धारा 188 रा.टी.एक्ट लक्ष्मणसिंह बनाम केसरसिंह लम्बित होकर दिनांक 24.09.12 को अदम हाजरी में खारीज कर दिया गया। वाद को पुनः स्थापना हेतु प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी आगामी तारीख पेशी 25.01.16 को नियत की गई। जिसे

भी न्यायालय द्वारा अदम हाजरी में प्रार्थना पत्र भी खारीज कर दिया गया। जिस पर द्वितीय प्रार्थना पत्र जिसको भी खारीज कर दिया गया। जिससे यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वादी/ प्रार्थी को माननीय अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक वल्लभनगर से न्याय नहीं मिलेगा। जिस स्थिति में न्यायहीत में पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक होने से यह ट्रांसफर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे स्वीकार किया जाकर उक्त अनवानी पत्रावली अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर कि जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1/1 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि चुंकी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध चाहा गया हैं। वर्तमान में उन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका हैं। वर्तमान में नये पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं। ऐसी स्थिति में अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः मुल पत्रावली पुनः न्यायालय को लौटायी जाना न्यायसंगत होगा।

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द की जाकर मुल पत्रावली इन निर्देशो के साथ में लौटायी जाती है कि पक्षकारानो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. पर सुनवाई करते हुए नियमानुसार प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 पर गुणावगुण पर कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की मुल पत्रावली पुनः उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर